क्र. जडि/मुअ(वा)/सी-1/एफ.4 (261)/पार्ट-VII/प्रे. 1539 दिनांक 10.06.2008

आदेश

विषय- उपभोक्ताओं की बिजली से सम्बन्धित सभी समस्याओं की त्वरित समाधान के लिये हर मंगलवार को "बिजली चौपाल"।

उपभोक्ताओं द्वारा समय-समय पर बिजली समबन्धी, बिजली के बिलों इत्यादि की शिकायतें की जाती रही है। इस तरह की शिकायतों के समाधान हेतु पूर्व से ही "उपखण्ड स्तरीय कमेटी" एवं वृत्त स्तरीय कमेटी का गठन किया हुआ है। उपखण्ड स्तरीय कमेटी की प्रत्येक माह की 10 तारीख को एवं "वृत्त स्तरीय कमेटी" की प्रत्येक माह की 20 तारीख को बैठकें रखी जाती हैं। इन कमेटियों में विद्युत कर्मियों के साथ-साथ अन्य "जन-प्रतिनिधि" एवं "तहसीलदार" भी आमंत्रित होते हैं।

उपरोक्त कमेटियों की बैठकों के अतिरिक्त विद्युत निगम द्वारा हर मंगलवार को सहायक अभियन्ता क्षेत्र के 33/11 केवी सब स्टेशन पर "बिजली चौपाल" का आयोजन किया जायेगा। इसमें उपभोकत्ताओं की बिजली के बिलों से सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जायेगा।

इसके लिये उपभोक्ता को अपने क्षेत्र के "टोल फ्री" फोन नम्बर पर सम्पर्क करना होगा एवं समस्या का शीघ्र समाधान होगा। समस्या का समाधान होने तक विलम्ब शुल्क नहीं देना पड़ेगा और कनेक्शन भी नहीं कटेगा।

चौपाल का आयोजन निम्नानुसार किया जायेगा :-

1. प्रत्येक मंगलवार सहायक अभियन्ता क्षेत्र के एक 33/11 केवी सब-स्टेशन पर शिकायतों के मौके पर ही निवारण के लिए चौपाल आयोजित होगी।
2. चौपाल में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और अन्य कर्मचारी/संबंधित रिकार्ड के साथ उपस्थिति रहेंगे।
3. ऐसी चौपालों में महीने में एक बार अपने-अपने क्षेत्र में अधिशाषी अभियन्ता, अधीक्षण अभियंता तथा संभागीय मुख्य अभियंता भाग लेंगे।

ह.

(एस.सी. मल्होत्रा)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)